

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती पूनम के निर्देशन मे आज दिनांक:- 25.09.2021 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना डिडौली पुलिस द्वारा गौ वध अधिनियम में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त आरिफ उर्फ भम्बड पुत्र सईद निवासी ग्राम पांयती कलां थाना डिडौली जनपद अमरोहा को मय एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना डिडौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1. इंतकाब पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम ककराली थाना डिडौली जनपद अमरोहा व 2. सरफराज उर्फ पप्पू पुत्र रिजवान तुर्क निवासी ग्राम कनपुरा थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने, गलत तरीके से प्रतिबंधित करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र समीर अली निवासी मौ0 जामा मस्जिद नई बस्ती थाना नौगावा सादात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने तथा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त कपिल पुत्र नरेश उर्फ उमेश निवासी मौ0 गांधीनगर कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा सरसों के कटटे चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में 03 अभियुक्त 1. जुबरे उर्फ बाबू 2. जावेद पुत्र आबिद व 3. नौशाद पुत्र शकील निवासीगण मौ0 मढैया कस्बा जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा को मय चुराये हुए 01-01 सरसों के कटटे (कुल 03 कटटों) सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दुलीचंद पुत्र फकीरचंद निवासी ग्राम भीमा सुल्तानपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित पुत्र श्यामसिंह निवासी ग्राम साथलपुर की बीच वाली मढैया थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 24 बोतल अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का व 16 पक्वे फाइट्टर मार्का अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना डिडौली पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 06 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।